

01/2/21

पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद का निस्तारण होने
के कारण प्रां. पत्र 212 RTA अपिल्यटिन है
अतः प्रां. पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है पत्रावली नियमानुसार दाखिल
दफ्तर होकर नं. से कम है।



